राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6347/2021

हेमराज सिंह (मृत्तक)

1. इन्दुबाला पत्नी स्व. श्री हेमराज सिंह
2. अंजनी सिंह पुत्री स्व. श्री हेमराज सिंह
3. तरूणेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हेमराज सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक मुख्यालय, बारां।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, बारां।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय किशनगंज, जिला बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.12.2021

आदेश की दिनांक : 25.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को फरवरी, 2018 से उपस्थित मानते हुये वर्तमान तक का समस्त वेतन चयनित वेतनमान व पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मय ब्याज सहित दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, बारां के आदेश दिनांक 23.05.2016 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरखेडा, किशनगंज से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पचलावडा में किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1067/2016 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 17.06.2016 को स्थगन आदेश जारी करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को एक सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा तब तक स्थगन आदेश प्रभावी किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरखेडा में दिनांक 27.06.2016 को कार्यग्रहण किया तथा दिनांक 30.06.2016 को विस्तृत रूप से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक नहीं किया। अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण किये बिना ही प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 07.09.2016 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2474/2016 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 13.10.2016 को स्थगन आदेश जारी करते हुये प्रत्यर्थी विभाग के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 07.09.2016 की क्रियान्विति स्थगित की गई। अपीलार्थी उक्त आदेशों की पालना में लगातार विद्यालय में कार्यरत रहा। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिसम्बर, 2016 से वेतन का भुगतान नहीं करने के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 981/2021 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने प्रत्यर्थी विभाग की मौजूदगी में जवाब के पश्चात् यह निर्धारित करते हुये कि अपीलार्थी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरखेडा किशनगंज, बारां में उपस्थिति अलग रजिस्टर में दर्ज की है, जिसके आधार पर अधिकरण ने दिनांक 08.02.2018 को अपील को स्वीकार करते हुये दिसम्बर, 2016 से 08 फरवरी, 2018 निर्णय की दिनांक तक वेतन का भुगतान अपीलार्थी को करने के आदेश जारी किये गये। अधिकरण के निर्णय दिनांक 08.02.2018 के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 5607/2018 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.07.2021 को यह निर्धारित किया कि अपीलार्थी के अधिकरण के द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.02.2018 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है तथा प्रत्यर्थी विभाग की रिट याचिका को खारिज किया गया। उक्त तथ्यों के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया तथा अधिकरण के निर्णय दिनांक 08.02.2018 से अपीलार्थी

की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2022 तक लगातार विद्यालय में कार्य करते हुये उपस्थित रहा है तथा अलग रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज की है। उक्त तथ्यों के बावजूद अपीलार्थी को उक्त अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक 05.07.2023 को अपीलार्थी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके उपरांत अपीलार्थी के उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिया गया था। अपीलार्थी की मृत्यु के पश्चात् ही अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति की दिनांक तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को पेंशन परिलाभों का भुगतान भी नहीं हुआ है, जो अवैध, मनमाना एवं पक्षपातीपूर्ण है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को फरवरी, 2018 से उपस्थित मानते हुये वर्तमान तक का समस्त वेतन चयनित वेतनमान व पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मय ब्याज सहित दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 23.05.2016 के आदेश द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बारां ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पचलावडा में पदस्थापन किया गया था तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरखेडा में श्री कमल किशोर एवं बिमला बाई अध्यापक पदस्थापित हैं। अपीलार्थी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से कार्यमुक्ति पश्चात् भी येन–केन–प्रकरेण विद्यालय से वेतन की मांग की जा रही है तथा अपीलार्थी को कार्यमुक्ति के पश्चात् पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना चाहिये था। स्थानांतरित स्थान पर कार्यग्रहण किये बिना ही अनुपस्थित रहकर बिना कार्य के वेतन प्राप्ति का प्रयास अपीलार्थी द्वारा किया गया है। अधिकरण के व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रार्थी का अभ्यावेदन दिनांक 22.02.2022 को निस्तारित किया जा चुका है तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 5565/2018 लंबित है। इसलिये अपीलार्थी को किसी प्रकार का वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, बारां के आदेश दिनांक 23.05.2016 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरखेडा, किशनगंज से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पचलावडा में किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1067/2016 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 17.06.2016 को स्थगन आदेश जारी करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को एक सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा तब स्थगन आदेश प्रभावी किया गया। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश की पालना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरखेडा में दिनांक 27.06.2016 को कार्यग्रहण किया तथा दिनांक 30.06.2016 को विस्तृत रूप से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक नहीं किया। जहां तक अपीलार्थी को स्थगन आदेश जारी पश्चात् पुनः कार्यग्रहण करने उपरांत वेतन भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की अपील के संबंध में स्टे रिप्रजेटेंशन जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने पुनः उसी स्थान पर कार्यग्रहण किया और प्रत्यर्थी विभाग को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु अभ्यावेदन का निस्तारण किये बिना अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। जिसे अपीलार्थी द्वारा चुनौती देते हुये अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2474/2016 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 13.10.2016 को स्थगन आदेश जारी किया। अपीलार्थी उक्त आदेशों की पालना में लगातार विद्यालय में कार्यरत रहा। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिसम्बर, 2016 से वेतन का भुगतान नहीं करने के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 981/2021 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने प्रत्यर्थी विभाग की मौजूदगी में जवाब के पश्चात् यह निर्धारित करते हुये कि अपीलार्थी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरखेडा किशनगंज, बारां में उपस्थिति अलग रजिस्टर में दर्ज की है, जिसके आधार पर अधिकरण ने दिनांक 08.02.2018 को अपील को स्वीकार करते हुये दिसम्बर, 2016 से 08 फरवरी, 2018 निर्णय की दिनांक तक वेतन का भुगतान अपीलार्थी को करने के आदेश जारी किये गये। अधिकरण के निर्णय दिनांक 08.02.2018 के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 5607/2018 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.07.2021 को यह निर्धारित किया कि अपीलार्थी के अधिकरण के द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.02.2018 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है तथा प्रत्यर्थी विभाग की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी अधिकरण के आदेश दिनांक 08.02.2018 से सेवानिवृत्ति

दिनांक तक का वेतन आदि समस्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के उत्तराधिकारियों को अविलम्ब उसके मूल पदस्थापन स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरखेडा, बारां से अधिकरण के निर्णय दिनांक 08.02.2018 से सेवानिवृत्ति की दिनांक तक की अवधि का वेतन का भुगतान किया जावे तथा अन्य परिलाभों का नियमानुसार भुगतान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष